न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 05/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री पूनमसिंह रावत पुत्र अमरसिंह निवासी बिच्छूडा, पोस्ट मोगर, तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा।	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक :25.01.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 22.12.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 577350 राशि 10.00 रूपये के साथ एक आवेदन दिनांक 15.11.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को दिनांक 18.11.2021 को प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.01.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक सू0क0अ0प्रकोष्ठ/2022/20012 दिनांक 14.01.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन–पत्र में चाही गयी सूचना कार्यालय में संधारित रिकॉर्ड अनुसार कुल पृष्ठ संख्या 03 (तीन) सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक 20629 दिनांक 03.12.2021 से जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा अग्रिम सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करायी जाकर प्रतिलिपि शुल्क राशि (छः) रूपये नियमानुसार कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु भी पत्र में लिखा गया, परन्तु अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय द्वारा भिजवायी गयी अग्रिम सूचना की प्रतिलिपि शुल्क राशि (छः) रूपये आज दिनांक तक जमा नहीं करायी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 25.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा